प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 19.07.2025

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 21.06.2025 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री के साथ आते-जाते छेडछाड करना व अश्लील हरकत करना, मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देना के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल धारा- 74/76/115(2)/351(2) बीएनएस व 9(m)/10 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात उपरोक्त अभियोग में धारा-183 बीएनएसएस के अंतर्गत पीडिता के बयान के आधार पर अभियोग में धारा-74/76/115(2)/351(2) बीएनएस व 9(m)/10 पोक्सो अधिनियम के स्थान पर धारा 70(2)/115(2)/351(3) बीएनएस व 5(g)/6(1) पोक्सो अधिनियम का समावेश किया गया।

आज दिनांक 19.07.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.नाजिम पुत्र सलीम निवासी चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष 2.आसिफ पुत्र सलीम निवासी निवासी चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष 3. कैफ पुत्र शौकिन निवासी गांव चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष 4.शारिक पुत्र अब्दुल वहाब निवासी गांव रटोल थाना खेकडा बागपत उम्र 19 वर्ष को थाना लोनी क्षेत्र के खडखडी अंडरपास से गिरफ्तार किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ पर अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि वादी की परचून की दुकान थी जिस पर वादी की लडकी भी बैठती थी जिससे हम आते जाते बातचीत करते थे। एक दिन मौका पाकर हमने वादी की लडकी के साथ गलत काम कर दिया और धमकी देकर वहाँ से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.नाजिम पुत्र सलीम निवासी चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष।

2. आसिफ पुत्र सलीम निवासी निवासी चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष।

3. कैफ पुत्र शौकिन निवासी गांव चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष।

4. शारिक पुत्र अब्दुल वहाब निवासी गांव रटोल थाना खेकडा बागपत उम्र 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 26.05.2025 को थाना भोजपुर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त साबिर द्वारा वादिया को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल धारा- 69/89 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 19.07.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त साबिर पुत्र साखा निवासी ग्राम मलकपुर थाना कांधला जिला शामली को ग्राम कलछीना तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरी पीड़िता से जान पहचान व बातचीत शुरू हो गई थी और पीड़िता के घर पर मेरा आना जाना भी हो गया था। मौका पाकर मैंने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभियुक्त साबिर पुत्र साखा निवासी ग्राम मलकपुर थाना कांधला जिला शामली उम्र 26 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना भोजपुर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 18.07.2025 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1. राहुल पुत्र सोरन सिंह निवासी तिरंगा कॉलोनी फर्रूखनगर थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष व 2. कृष्णा उर्फ चेतू पुत्र सुरेश निवासी तिरंगा कॉलोनी फर्रूखनगर थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को कोयल एन्कलेव सर्विस रोड से चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त राहुल पुत्र सोरन सिंह व कृष्णा उर्फ चेतू पुत्र सुरेश उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त राहुल पुत्र सोरन सिंह व कृष्णा उर्फ चेतू पुत्र सुरेश उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि बरामद मोटर साइकिल को दोनों अभियुक्तों ने मिलकर दिल्ली से चोरी किया

था। दोनों अभियुक्त इस मोटर साइकिल से पुनः चोरी करने की फिराक में थे तथा एक अभियुक्त के पैर में बधी पट्टी(लगी चोट) के बारे में पूछने पर बताया कि कुछ दिन पहले भोपुरा तिराहे पर एक मोटर साइकिल से एक्सीडेन्ट के दौरान मेरे पैर में चोट लग गई थी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-</u>

1. राहुल पुत्र सोरन सिंह निवासी तिरंगा कॉलोनी फरूखनगर थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष।
2. कृष्णा उर्फ चेतू पुत्र सुरेश निवासी तिरंगा कॉलोनी फरूखनगर थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

- चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-</u>

- गिरफ्तार अभियुक्त राहुल पुत्र सोरन सिंह उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर चोरी व एनडीपीएस से सम्बन्धित 05 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त कृष्णा उर्फ चेतू पुत्र सुरेश उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर चोरी, गैगस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 07 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा हत्या का प्रयास करने के अभियोग में वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 16.07.25 की रात्रि में ग्राम नाहल में दो पक्षो के बीच में आपस में गाली गलौज करने को लेकर एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से किये गये जानलेवा हमले की घटना के सम्बध में थाना मसूरी पर चौकी इन्चार्ज अरूण कुमार द्वारा मु0अ0सं0 223/25 धारा 191(2) /193(2) /190/ 115(2) /109/ 352/ 131 बी.एन.एस. बनाम 1.आयान 2.हबीबुल्ला 3.हबीबुर्रहमान पुत्रगण गुलहसन व द्वितीय पक्ष के 1.साजिम 2.शाका 3.गुलवेज पुत्रगण साबिर 4.अजीम पुत्र अब्दुल सलाम निवासीगण ग्राम नाहल थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद पंजीकृत कराया गया था व घटना से सम्बधित अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 19.07.2025 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.अयान उंम्र 19 वर्ष 2. हबीबुर्रहमान उम्र 21 वर्ष पुत्रगण गुलहसन निवासीगण ग्राम नाहल थाना मसूरी जिला गाजियाबाद 3.साजिम पुत्र साबिर उम्र 19 वर्ष 4.अजीम पुत्र अब्दुल सलाम उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद को ग्राम नाहल से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u>

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोग पड़ोस में रहते हैं तथा आपस में गाली गलौज को लेकर विवाद हो गया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-</u>

1.अयान पुत्र गुलहसन निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी जिला गाजियाबाद उंम्र 19 वर्ष
2. हबीबुर्रहमान पुत्र गुलहसन निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी जिला गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष
3.साजिम पुत्र साबिर निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष
4.अजीम पुत्र अब्दुल सलाम निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना मसूरी पर हत्या का प्रयास का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल व 01 अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 19.07.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अनवर पुत्र असगर निवासी डी-315 नई सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष को सर्विस रोड़ पर वीकेयर हास्पिटल के पास शालीमार गार्डन से चोरी की 01 मोटर साइकिल व 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अनवर पुत्र असगर उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2),317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त अनवर पुत्र असगर उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि बरामद मोटर साइकिल को अभियुक्त उपरोक्त ने कुछ दिन पहले दिल्ली से चोरी किया था। अभियुक्त उपरोक्त इस मोटर साइकिल को बेचने की फिराक में यहां आया था तथा अभियुक्त के पास चाकू भी बरामद हुआ जिसे अभियुक्त अपने पास लोगों को डराने धमकाने के लिए रखता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अनवर पुत्र असगर निवासी डी-315 नई सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

चोरी की 01 मोटर साइकिल व 01 अवैध चाकू बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त अनवर पुत्र असगर उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।